राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 44/06–07

विषयः– डॉ. भूपेन्द्र कुमार मिश्रा, शिवगंज, आरा का प्राप्त आवेदन–पत्र।

09.11.2006 जिला पदाधिकारी, आरा को आवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए दिनांक 30.11.06 तक कंडिकावार प्रतिवेदन की मांग करें तथा सुनवाई की तिथि 04.12.06 को पूर्वाह्न 11.00 बजे लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अवर निबंधक, भोजपुर, आरा को संबंधित कागजातों के साथ उपस्थित रहने का निदेश दें तथा आवेदक को भी सूचना दें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.12.2006 जिला पदाधिकारी, आरा से निर्धारित तिथि को कंडिकावार प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। पुनः सुनवाई की तिथि 04.01.07 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कंडिकावार प्रतिवेदन भेजने के लिए निर्देष दिया जाय तथा लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अवर निबंधक, भोजपुर, आरा को अगली सुनवाई की तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देष दिया जाय। आवेदक को अगली सुनवाई की तिथि की जानकारी दी जा चुकी है। सुनवाई की आगामी तिथि–24.01.07 तथा समय 10.30 पूर्वाहन है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.01.2007 आवेदक उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा तथा अवर निबन्धक, की ओर से न तो कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और न ही लोक सूचना पदाधिकारी आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी एवं अवर निबन्धक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निदेश निर्गत किया जाय।

मामले की सुनवाई दिनांक 24.01.07 को प्रातः 10.30 बजे की जायगी।

(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

24.01.2007 वादी उपस्थित हैं। जिला पदाधिकारी, आरा की ओर से जिला अवर निबन्धक, आरा उपस्थित हैं। वादी द्वारा मांगी गयी सूचना एवं सामग्री के लिए रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में एक निर्धारित फीस है। वादी का कहना है कि वे विगत 10 साल का अभिलेख का निरीक्षण नहीं कराना चाहते हैं। उसके लिए भी, जैसा कि जिला अवर निबन्धक ने बताया कि पहली साल के लिए 20 रू0 और बाकी साल के लिए 15 रू0 फीस निर्धारित है अगर वादी बैंक में राशि जमा कर चालान के साथ जिला अवर निबन्धक को आवेदन दें तो उन्हें अविलम्ब निरीक्षण करवा दिया जायगा। इस आदेश के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त